राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ओखलकाण्डा, नैनीताल

मैनुअल – 3

संस्थान में निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित कर्मचारियों के संबंध में) निम्नानुसार है :–

1. संस्थानों के चतुर्थ श्रेणी एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के नियुक्ति का प्राधिकार संस्थान के प्रधानाचार्य को हैं । नियुक्ति प्राधिकार के अन्तर्गत कर्मचारियों के सेवा मामलों में निर्णय लेने का अधिकार प्रधानाचार्य का है । ऐसे कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में अपील करने का अधिकार क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/ शिशिक्षु) को है । संस्थानों के चतुर्थ श्रेणी एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को है । उक्त कार्यालय कर्मचारियों की सामान्य स्थिति, भविष्य निधि अग्रिम, कार्यालयाध्यक्ष तथा विशेष अग्रिम संयुक्त निदेशक द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

2. ऐसे कर्मचारी जिनके नियुक्ति अधिकारी निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन हैं के सेवा सम्बन्धी मामलों में निर्णय करने की निम्न प्रक्रिया नियत है :–

(ए) ऐसे कर्मचारियों को तीस दिन तक उपार्जित अवकाश / 30 दिन चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार तैनात कार्यालयाध्यक्ष को है ।

(बी) ऐसे कर्मचारियों को तीस दिन से अधिक उपार्जित अवकाश / चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने अधिकार क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को है ।

(सी) ऐसे सभी कर्मचारियों की विशेष स्थिति भविष्य निधि अग्रिम की स्वीकृति संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती है ।

(डी) उपरोक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण अधिकार विभागाध्यक्ष में निहित है ।

3. राज्य सेवा के अधिकारियों के मामले में नियुक्ति प्राधिकार शासन में निहित है ऐसे अधिकारियों के स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष द्वारा किये जाते हैं । सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में निर्णय लेने का अधिकार शासन को है । तीस दिन का उपार्जित अवकाश / चिकित्सा अवकाश स्वीकृति प्राधिकार संयुक्त निदेशक को है । अधिक अवकाश स्वीकृति विभागाध्यक्ष /शासन स्तर से की जाती है ।

4. पत्रावलियों का प्रस्तुतीकरण सम्बन्धित पटल सहायकों द्वारा अपनी आख्या के उपरान्त प्रधानाचार्य को साधे किया जाता है:–